रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

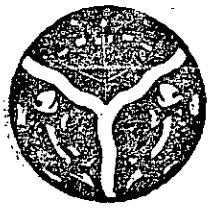

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 19 अगस्त, 1975

श्रावण 28, 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 3123/सत्रह-वि-1--87-75

लखनऊ, 19 अगस्त, 1975

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1975 पर दिनांक 14 अगस्त, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर-प्रदेश अधिनियम संख्या 31, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31, 1975)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1962

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) अधिनियम, 1962 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

उ0प्र0 अधिनियम सं0 14, 1962 में नई धारा 5 का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) अधिनियम, 1962 की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

कतिपय अन्य मामलों में रिट याचिका के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णय या दी गई आज्ञा के विरुद्ध अपीलों की समाप्ति

"5-(1) किसी आवेदन या कार्यवाही से, जो चाहे इस धारा के प्रारम्भ होने से पहले या उसके पश्चात् संस्थित अथवा प्रारम्भ की गई हो, उत्पन्न होने वाली ऐसी कोई अपील उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न की जा सकेगी जो उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के उस निर्णय या आज्ञा के विरुद्ध हो जो उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम (जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा यथासंशोधित कोई केन्द्रीय अधिनियम भी है) के अधीन किसी जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश या अपर सिविल न्यायाधीश द्वारा अपीलीय या पुनरीक्षणीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग में दिये गये या दिये जाने के लिए तात्पर्यित किसी निर्णय या आज्ञा के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके की गई हो, भले ही यू0 पी0 हाई कोर्ट्स (अमलगमेशन) आर्डर, 1948 के खण्ड 7 तथा 17 के साथ पठित दिनांक 17 मार्च, 1866 के हर मैजेस्टी के लेटर्स पेटेन्ट के खण्ड 10 में या किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात दी हो।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सभी अपीलें उसी प्रकार सुनी और निस्तारित की जायेंगी मानो कि यह धारा अधिनियमित न की गई हो।"

निरसन तथा अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) अध्यादेश, 1975 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम 23 मई, 1975 को प्रवृत्त हो गया था।

No. 3123 (2) /XVII-V—1-87-75

Dated Lucknow, August 19, 1975

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Uchcha Nyayalaya (Letters Patent Appeal Samapati) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 31 of 1975), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 14, 1975 :

THE UTTAR PRADESH HIGH COURT (ABOLITION OF LETTERS PATENT APPEALS) (AMENDMENT) ACT, 1975

(U. P. Act no. 31 of 1975)

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh High Court (Abolition of Letters Patent Appeals) Act, 1962

It is hereby enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh High Court (Abolition of

2. *After* section 4 of the Uttar Pradesh High Court (Abolition of Letters Patent Appeals) Act, 1962, the following section shall be *inserted*, namely :— Insertion of new section 5 in U. P. Act XIV of 1962.

"5. (1) No appeal, arising from an application or proceeding instituted or commenced, whether prior or subsequent to the commencement of this section, shall lie to the High Court from a judgment or order of one judge of the High Court, made in the exercise of jurisdiction conferred by Article 226 or Article 227 of the Constitution, in respect of a judgment or order made or purported to be made in the exercise or purported exercise of appellate or revisory jurisdiction by a District Judge, Additional District Judge, Civil Judge or Additional Civil Judge under any Uttar Pradesh Act (including any Central Act as amended by an Uttar Pradesh Act) anything to the contrary contained in clause 10 of the Letters Patent of Her Majesty, dated March 17, 1866, read with clauses 7 and 17 of the U. P. High Courts (Amalgamation) Order, 1948, or in any other law notwithstanding.

Abolition of appeals from the judgment or order of one Judge of the High Court made in the exercise of writ jurisdiction in certain other cases.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), all appeals pending before the High Court on the date immediately preceding the date of commencement of this section shall be heard and disposed of as if this section had not been enacted."

3. (1) The Uttar Pradesh High Court (Abolition of Letters Patent Appeals) (Amendment) Ordinance, 1975 is hereby repealed. Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act had come into force on May 23, 1975.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 389 राजपत्र (हिन्दी)—1975—1760—1,463 (मे०) ।